रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 22, 1972/माघ 2, 1893

No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 22, 1972/MAGHA 2, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January 1972

No. A.21021/13/71.Ad.IIIB.—The President is pleased to substitute clauses (f) and (g) of the Scheme for the grant of Appreciation Certificates to officers and staff of the Customs and Central Excise Departments announced in this Ministry's Notification No. 12/139/59-Ad.IIIB dated the 5th November, 1962, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India Extraordinary dated the 5th November, 1962, as amended by Notification No. 31/12/65-Ad IIIB dated 27th November, 1965

published in Part I, Section 1 of the Gazette of India Extraordinary dated 27th November, 1965 as under:—

"(f) The allowance will be granted from the date the award for exceptionally meritorious service is notified in the Gazette of India and unless it is forfeited for misconduct, will continue for a period of five years from the date of notification of such award. The additional monetary allowance for a further meritorious act will also continue for a period of five years from the date a further award for exceptionally meritorious service is notified in the Gazette of India and it will run concurrently with the first monetary allowance if the period of the first allowance has not expired".

"(g) If a person loses his life in the performance of meritorious service qualifying for the grant of a monetary allowance, his widow or dependents will be entitled to the monetary allowance for a period of ten years or till the remarriage of the widow, whichever is earlier, from the date the award is notified in the Gazette of India"

2. These orders shall take effect from the 26th of January, in the year one thousand nine hundred and seventy two.

M. G. ABROL, Jt. Secy

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1972

सं० ए० 21021/13/71-प्रशासन III बी :—दिनांक 27 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र असाधारण के भाग I खण्ड 1 में प्रकाशित दिनांक 27 नवम्बर, 1965 की अधिसूचना सं० 31/12/65-ए० डी० III बी द्वारा यथा संशोधित, दिनांक 5 नवम्बर, 1962 के भारत के राजपत्र असाधारण के भाग I खण्ड 1 में प्रकाशित 5 नवम्बर, 1962 की इस मन्त्रालय की अधिसूचना सं० 12/139/59-ए० डी० III बी में घोषित सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशस्ति-प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने की योजना की धारा (एफ) और (जी) को राष्ट्रपति जी निम्नानुसार प्रतिस्थापित करते हैं:—

"(एफ) भत्ता उस तारीख से दिया जायगा, जिस तारीख को असाधारण सराहनीय सेवा का विवरण भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है तथा जब तक कि उसे दुराचरण के कारण जब्त नहीं कर लिया जाता, तब तक यह पुरस्कार उसके अधिसूचित किये जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक दिया जाता रहेगा। और अधिक सराहनीय कार्य के लिये दिया गया अतिरिक्त आर्थिक भत्ता भी, उस तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिये दिया जाता रहेगा जिस तारीख को असाधारण सराहनीय सेवा के लिए और अधिक पुरस्कृति भारत के राजपत्र में अधिसूचित की जाती है, तथा यदि प्रथम भत्ते की अवधि समाप्त नहीं हुई है, तो यह, प्रथम आर्थिक भत्ते के साथ-साथ ही दिया जाता रहेगा।"

(जी) यदि उन सराहनीय सेवा को करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जो सेवा उस व्यक्ति को आर्थिक भत्ते की स्वीकृति के योग्य बनाती है तो उसकी विधवा अथवा उस पर निर्भर व्यक्ति, पुरस्कार के भारत के राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए अथवा विधवा के पुनर्विवाह की तारीख तक, जो भी पहले हो, आर्थिक भत्ते के हकदार होंगे।"

3. ये आदेश सन् एक हजार नौ सौ बहत्तर के 26 जनवरी से प्रभावी होंगे।

एम० जी० अबोल,

संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972